कार्यालयः नीलामी समिति जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं0 736/प्रशा० (बी०II) अनुभाग, इलाहाबाद, दिनांकित 14.03.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार एम्बेस्डर कार संख्या **U.P.76-B /1604** की नीलामी कार्यवाही (वर्तमान में जहाँ और जैसी स्थिति में है) के आधार पर सार्वजनिक रूप से दिनांक 28.03.2023 को सांय 04.30 बजे जनपद न्यायालय फर्रूखाबाद के प्रांगण में केन्द्रीय नजारत के सामने चबूतरे पर की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति नीलामी की कार्यवाही निम्न शर्तों के अनुसार बोली बोल सकते है।

नीलामी निम्न शर्तों के अधीन की जाएगीः.

1–बोली बोलने वाले को मु0 2,000/– रुपये अग्रिम रूप से जमा करना अनिवार्य होगा।

2–अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने के उपरान्त कुल धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।

3–बोली बोलने हेतु अग्रिम रूप से जमा धनराशि का समायोजन अन्तिम बोली की धनराशि में कर दिया जायेगा।

4–बोली स्वीकृत होने के उपरान्त एम्बेस्डर कार सं0 **U.P.76-B /1604** को तत्काल ले जाना होगा।

5–किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूरा अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, फर्रूखाबाद को होगा।

दिनांकः 21.03.2023

21/3/23

(महेन्द्र सिंह–IV)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),
फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रभारी अधिकारी नजारत को सूचनार्थ।

2– जिला न्यायालय, फर्रूखाबाद के नजारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

3– कलेक्ट्रेट नजारत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

4– नगर पालिका परिषद, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

5– जिला पंचायत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

6– जिला सूचना अधिकारी, फतेहगढ़ को निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

7– नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय फर्रूखाबाद को स्थानीय एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।

8– बाह्य न्यायालय, कायमगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

9–शासनादेश सं0 562/19-02-2007-1007/74 (T.C.) dated July 2007 के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 14092/Admin. (B-V) Section: Allahabad Dated July 31, 2017 के निर्देशानुसार निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जाये।

दिनांकः 21.03.2023

21/3/23

(महेन्द्र सिंह–IV)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट),
फर्रूखाबाद।